23

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1466] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 29, 2011/श्रावण 7, 1933
No. 1466] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 29, 2011/SRAVANA 7, 1933

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2011

का.आ. 1757(अ).—जबकि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (जिसे यहां आगे यथा शिक्षा का अधिकार अधिनियम निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 2 के उप-खंड (घ) के अनुसार 'अलाभित समूह का बालक' से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक रूप से और शैक्षिक रूप से पिछडे वर्ग या सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसी अन्य बात के कारण, जो समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट की जाए, अलाभित ऐसे अन्य समूह का कोई बालक अभिप्रेत है;

और जबकि, किसी ऐसे संघ राज्य क्षेत्र जिसका कोई विधानमंडल नहीं है, के प्रशासक द्वारा स्थापित उसके स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्कूल के संबंध में समुचित सरकार होने के नाते केन्द्र सरकार को अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 के उप-खंड (घ) के अंतर्गत निम्नलिखित वर्गों के बच्चों को 'अलाभित समूह का बालक' के रूप में अधिसूचित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है :—

(i) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए यथाअधिसूचित अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले बच्चे;

(ii) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए यथाअधिसूचित अन्य पिछडे वर्गों से संबंध रखने वाले बच्चे;

(iii) अनाथ, मैला ढोने वाले परिवारों के बच्चे, विशेष जरूरतमंद बच्चे और एचआईवी प्रभावित अथवा संक्रमित बच्चे;

और जबकि, केन्द्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के प्रस्ताव की जांच की है और उसे स्वीकार कर लिया है;

इसलिए, अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा 2 के उप-खंड (घ) के अनुपालन में केन्द्र सरकार एतद्द्वारा बच्चों के निम्नलिखित वर्गों को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए 'अलाभित समूह के बालकों' के रूप में अधिसूचित करती है :—

(i) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए यथाअधिसूचित अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले बच्चे;

(ii) अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए यथाअधिसूचित अन्य पिछडे वर्गों से संबंध रखने वाले बच्चे; और

(iii) अनाथ, मैला ढोने वाले परिवारों के बच्चे, विशेष जरूरतमंद बच्चे और एचआईवी प्रभावित अथवा संक्रमित बच्चे।

[एफ. सं. 1-7/2011-ईई-4]

अनिता कौल, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2011

S.O. 1757(E).—Whereas sub-clause (d) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) (hereinafter referred to as the RTE

Act), defines 'child belonging to disadvantaged group' as a child belonging to the Scheduled Caste, the Scheduled Tribe, the socially and educationally backward class, or such other group having disadvantage owing to social, cultural, economical, geographical, linguistic, gender or such other factor, as may be specified by the appropriate Government, by notification;

And whereas, the Central Government, being the appropriate Government in relation to a school established, owned or controlled by the administrator of the Union Territory, having no legislature has received a proposal from Andaman and Nicobar Administration for notifying under clause (d) of Section 2 of the RTE Act, the following categories of children as 'children belonging to disadvantaged group' :

(i) children belonging to the Scheduled Tribe, as notified for Andaman and Nicobar Islands by the Andaman and Nicobar Administration;

(ii) children belonging to the Other Backward Classes, as notified for the Andaman and Nicobar Islands by the Andaman and Nicobar Administration; and

(iii) the orphans, children of families of scavengers, children with special needs and HIV affected or infected children;

And whereas, the Central Government has examined and considered the proposal of the Andaman and Nicobar Administration;

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (d) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, the Central Government hereby notifies the following categories of children as children belonging to disadvantaged group for the Andaman and Nicobar Islands:

(i) children belonging to the Scheduled Tribe, as notified for Andaman and Nicobar Islands by the Andaman and Nicobar Administration;

(ii) children belonging to the Other Backward Classes, as notified for Andaman and Nicobar Islands by the Andaman and Nicobar Administration; and

(iii) the orphans, children of scavenger families, children with special needs and HIV affected or infected children.

[F. No. 1-7/2011-EE-4]

ANITA KAUL, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 2011

का.आ. 1758(अ).—नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (इसके पश्चात आरटीआई अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 2 की उप-धारा (ङ) में "दुर्बल वर्ग का बालक" से ऐसे माता पिता या संरक्षक का बालक अभिप्रेत है जिसकी वार्षिक आय समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट न्यूनतम सीमा से कम है;

जबकि ऐसे किसी संघ शासित प्रदेश, जहां कोई विधान मंडल नहीं है, के प्रशासक द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्व में अथवा उसके द्वारा नियंत्रित किसी स्कूल के संबंध में केन्द्र सरकार ही समुचित सरकार होने के कारण अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से आरटीई अधिनियम की धारा 20 के खंड (ङ) के अंतर्गत अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा यथाअधिसूचित अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के बच्चे को 'दुर्बल वर्ग का बालक' के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

जबकि केन्द्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के प्रस्ताव की जांच की है और उस पर विचार किया है;

अत: नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुपालन में केन्द्र सरकार अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में यथाअधिसूचित गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के बच्चे को 'दुर्बल वर्ग का बालक' के रूप में अधिसूचित करती है ।

[एफ. सं. 1-7/2011-ईई-4]

अनिता कौल, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2011

S.O. 1758(E).—Whereas sub-clause (e) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009) (hereinafter referred to as the RTE Act), defines a 'child belonging to weaker section' as a child belonging to such parent or guardian whose annual income is lower than the minimum limit specified by the appropriate Government, by notification;

Whereas the Central Government being the appropriate Government in relation to a school established, owned or controlled by the administrator of the Union territory having no legislature has received a proposal from Andaman and Nicobar Administration for notifying under clause (e) of Section 2 of the RTE Act, a child belonging to a Below Poverty Line (BPL) family in Andaman and Nicobar Islands as notified by the Andaman and Nicobar Administration, as a 'child belonging to weaker section';

Whereas the Central Government has examined and considered the proposal of the Andaman and Nicobar Administration;

Now, therefore, in pursuance of sub-clause (e) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, the Central Government hereby notifies a child belonging to a Below Poverty Line (BPL) family in Andaman and Nicobar Islands as notified by the Andaman and Nicobar Administration as a child belonging to weaker section.

[F. No. 1-7/2011-EE-4]

ANITA KAUL, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.